



मध्यप्रदेश राजपत्रा प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 42]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 अक्टूबर 2022—आश्विन 29, शक 1944

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क) — कुछ नहीं

भाग ४ (ख) — कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 17 अक्टूबर 2022 (आश्विन 25,
शक संवत् 1944)

क्र. 16850-वि.स.-स्था.-2022.—मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
सेवा अधिनियम, 1981 (क्रमांक 20 सन् 1981) की धारा 4 के अंतर्गत
निर्मित मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा शर्तें)
नियम, 1990 में मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग द्वारा दी गई सहमति

अनुसार निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:—

उक्त नियमों के नियम 17 के द्वितीय परन्तुक के पश्चात्
निम्नानुसार परन्तुक स्थापित किया जाये:—

“परन्तु यह और भी कि वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए
प्रथम परन्तुक के अधीन निर्मित होने वाले पदों के
लिए व्यय की सीमा रुपये 40,00,000/- (रुपये
चालीस लाख) से अधिक नहीं होगी।”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. डी. सिंह, अपर सचिव.